


राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर आबूपर्वत

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का उपलागढ भू अ. निरीक्षक निचलागढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम उपलागढ भू अ. निरीक्षक वृत्त निचलागढ तहसील देलदर जिला सिरौही की जमावन्दी सम्बत 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उपलागढ	233	चन्दन सिंह पुत्र गोपाल सिंह गरासिया	चन्दन कुमार पुत्र गोपाल सिंह गरासिया


(डॉ. अंशु प्रिया)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी


एवं पदेन सहायक कलक्टर आबूपर्वत

दिनांक-25.3.2026

कमांक / कोर्ट / 2026 / 47

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री चन्दन कुमार पुत्र गोपाल सिंह जाति गरासिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलक्टर आबूपर्वत

